

9
56/04

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत 31/01

Form No-|||

अज्ञ अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किस्म मुकदमा 130 एल आर एकट

उमावती वि. S.N.P बनाम

रासकार

नम्बर 46 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी किए

तारीख हुक्म

06/10/21

तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार मुसलगा
रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/
दिनांक 06/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शिवला
में प्राथी के नाम चक S.N.P की जमाबंदी सम्बत्
2075- के खाता सं. 28 में

उमावती पुत्री पत्नम जति बिजोरी साठ देह
खालेदार रहत - सिडीकेट बैंक शाखा ब्रह्मा
जोड़ू वनी है
के स्थान पर वर्तमान में बैंक का नाम परिवर्तन
होने के कारण कोरग बैंक शाखा (ब्रह्मा
जोड़ू, भिया जावे)

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प
कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार
दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब
तहसीलदार मुसलगा रायसिंहनगर की अनुशंसा
के आधार पर वाके चक S.N.P तहसील
रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् 2075
के खाता सं. 28 में उमावती पुत्री पत्नम

जति बिजोरी साठ देह खालेदार रहत -
सिडीकेट बैंक शाखा ब्रह्मा-जोड़ू वनी है
के स्थान पर

वर्तमान में बैंक का नाम परिवर्तन होने के
कारण कोरग बैंक शाखा (ब्रह्मा-जोड़ू)
किया जावे

की दुरुस्ती करने
के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदरतूर रहेगा। इसी
अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय
का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।
पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

31
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प शिवला

